सत्यमेव जयते

संख्या– / जी0एस0 / शिक्षा / A15-4 / 2019

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय,
देहरादून।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : **देहरादून : दिनांक : 28 फरवरी, 2020**

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या– 3468 / एचएनबीयूएमयू / 18–19 दिनांक 27 मई, 2019 एवं पत्र संख्या–5033 / एचएनबीयूएमयू / 19–20 दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– तत्क्रम में यू0जी0सी0 विनियमों के अनुसार वर्ष–दर–वर्ष के आधार पर सम्बद्धता निर्गत किये जाने के निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल, कुलसचिव व कुलपति, हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की संस्तुति के दृष्टिगत हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा–36(1) के अधीन निम्न संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित **पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु** मा0 कुलाधिपति द्वारा पूर्व स्वीकृति / पूर्वानुमोदन निम्नवत् उपबन्ध के साथ प्रदान किया गया है:–

संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीटों की संख्या	शैक्षिक सत्र
1	2	3	4
श्री स्वामी भूमानन्द कॉलेज ऑफ नर्सिंग, रानीपुरझाल, हरिद्वार।	**बी0एस0सी0 नर्सिंग**	**60**	**2019–20**
	पोस्ट बी0एस0सी0 नर्सिंग	**20**	
	एम0एस0सी0 नर्सिंग	**18**	

(1) बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु राज्य परिषद् द्वारा '60' सीटों हेतु मान्यता प्रदान कर दिये जाने के आधार पर '60' सीटों की मान्यता प्रदान की गई है। परन्तु आई0एन0सी0 द्वारा '30' सीट अंकित करने के दृष्टिगत इस विधिक स्थिति में आई0एन0सी0 को भी अवगत करायें।

(2) संस्थान से प्राभूति धनराशि संबंधी तथ्यों की पूर्ति कराने के साथ–साथ निरीक्षण मण्डल की आख्या / संस्तुति के दृष्टिगत, कार्यपरिषद्, नियामक संस्था के मानक पूर्ण होने की दशा में सत्र 2019–20 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण पर निर्णय लेकर विश्वविद्यालय स्तर से आदेश निर्गत करे व कृत कार्रवाई से मा0 कुलाधिपति जी को अवगत कराया जाये।

3– अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव यथा समय सारिणी प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा। तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या– 4162 (1) / जी0एस0 / शिक्षा / A15-4 / 2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य / प्रबन्धक, उपरोक्त सम्बन्धित संस्थान / कॉलेज।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ / गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह यादव)
कुलाधिपति के संयुक्त सचिव।